मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी/6-2/85/3/1 भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 1985.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- तदर्थ रूप से पदोन्नत शासकीय सेवकों के विरुद्ध विभागीय जांच आरम्भ होने पर उनका प्रत्यावर्तन ।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्र0 6-1/1007/78/3/1 दि0 7-4-78.

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा तदर्थ रूप से पदोन्नत शासकीय सेवकों की किसी आपराधिक मामले या विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही के सिलसिले में निलंबित किए जाने पर उन्हें उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं । राज्य शासन के ये भी निर्देश हैं कि यदि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो अथवा संभावित हो तो उनके संबंध में समिति की सिफारिश सील बन्द लिफाफे में रखी जायेगी ।

2/ तदर्थ रूप से पदोन्नत कर्मचारियों की इस प्रकार पदोन्नति के दौरान उनके द्वारा किए गये दोषपूर्ण कृत्य या किसी चूक के परिणाम-स्वरूप यदि कोई विभागीय जांच आदेशित की जाती है तो ऐसे प्रकरणों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे तदर्थ पदोन्नत शासकीय सेवकों को जिनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की जा रही हो/चल रही हो, उन्हें उनकी नियमित पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति आदि की कार्यवाही की प्रतीक्षा किए बिना, जिस पद से वे तदर्थ पदोन्नत किए गये थे उस पद पर तत्काल प्रभाव से प्रत्यावर्तित कर दिया जाय, ताकि अनावश्यक रूप से प्रशासनिक एवं वित्तीय कठिनाईयां उत्पन्न न हों ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
के0एन0 श्रीवास्तव
उप सचिव
म0प्र0 शासन, सा0प्र0 विभाग.